



# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: प०( )उआआगुनि/निरीक्षण/23-24/418

दिनांक: 31-01-2024

## -:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान आवासन मण्डल के प्रगतिधीन समस्त निर्माण कार्यों के सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यों का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट मय रियल टाइम फोटो के RHB SAJAG APP पर आवश्यक रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। केवल RHB SAJAG APP पर उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट ही मान्य होगी। ऑफलाइन निरीक्षण रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। प्रत्येक खण्ड आवासीय अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक निर्माण कार्य आवश्यक रूप से RHB SAJAG APP पर अपलोड किया गया है एवं सभी वांछित मासिक सूचनाएं पूर्ण रूप से RHB SAJAG APP पर अद्यतन (अपडेटेड) है।

विभिन्न खण्ड कार्यालयों द्वारा सम्पादित किये जा रहे सभी निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु आवश्यक राशि जारी करवाने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले माँग राशि प्रकरणों के साथ संबंधित आवासीय अभियन्ता प्रत्येक निर्माण कार्य के लिये इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न कर भिजवायेंगे कि उस निर्माण कार्य को RHB SAJAG APP पर पूर्ण रूप से अद्यतन (अपडेटेड) किया जा चुका है, प्रमाणस्वरूप RHB SAJAG APP के स्क्रीनशॉट की प्रति भी संलग्न करेंगे।

वित्तीय सलाहकार यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित आवासीय अभियन्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन किया गया है एवं प्रत्येक निर्माण कार्य को RHB SAJAG APP पर पूर्णरूप से अद्यतन किया जाकर स्क्रीनशॉट की प्रति प्राप्त हो चुकी है। उक्त के अभाव में किसी भी प्रकार की राशि जारी नहीं की जाये।

कुमार पाल गौतम  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1— निजी संचिव, मा० अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राआम, जयपुर।
- 2— मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय/प्रोजेक्ट, राआम।
- 3— अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राआम, जयपुर/जोधपुर।
- 4— वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार, राआम
- 5— उप आवासन आयुक्त, समस्त, राआम।
- 6— उप आवासन आयुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण, राआम को निर्देशित किया जाता है कि निर्माण कार्यों के सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों (मय उप-आवासन आयुक्त (गुनि.) तथा संबंधित आवासीय अभियन्ता (गुनि.)) द्वारा RHB SAJAG APP पर किये गये अपलोड के आधार पर तैयार रिपोर्ट अनुसार (Generated Report) निरीक्षण की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह आवासन आयुक्त को प्रस्तुत करें।
- 7— आवासीय अभियन्ता ..... (समस्त)/गुणवत्ता नियंत्रण....., राआम।
- 8— लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, समस्त, राआम।
- 9— रक्षित पत्रावली।

उप आवासन आयुक्त (गुनि)